

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
ई-पंजीकरण की सूचना

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित/निर्मित पंडित गोविन्द बल्लभ पंत पार्क पर स्थित रिक्त कियास्क संख्या-02 व 04 तथा डा0 भीम राव अम्बेडकर पार्क (निकट तारामण्डल) स्थित कियास्क सं0-01 तथा 02 का ई-नीलामी के माध्यम से मासिक किरायें पर आवंटन हेतु दि0- 31/10/2026 से दिनांक 30/11/2026 तक पंजीकरण खोला जा रहा है। उक्त अवधि में आनलाईन पंजीकृत आवेदकों के मध्य ई-नीलामी दिनांक 05/11/2026 को होगी। ई-नीलामी से सम्बन्धित नियम, शर्तें व अन्य विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट www.gdagkp.in पर उपलब्ध है। जिसपर इच्छुक व्यक्ति आनलाईन पंजीकरण करा सकते हैं।

(प्रखर उत्तम)
सचिव।

(अभिनव गोपाल)
उपाध्यक्ष।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित पं० गोविन्द बल्लभ पंत पार्क स्थित कियास्क सं०-02 तथा 04 एवं रामगढ़ताल परियोजना अन्तर्गत डा० भीमराव अम्बेडकर पार्क में स्थित रिक्त कियास्क संख्या-01 तथा 02 का ई-नीलामी के माध्यम से किराये पर प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर ।

(वित्तीय वर्ष 2026-27 के आधार पर)

सम्पत्ति का विवरण:-

योजना का नाम	कियास्क संख्या	प्रति कियास्क का क्षेत्रफल	न्यूनतम आरक्षित किराया प्रतिमाह	जमानत धनराशि
पं० गोविन्द बल्लभ पंत पार्क	02 तथा 04	6.44 वर्गमीटर	रु०-25,661.00 ✓	रु०-2,56,610.00 ✓
डा० भीमराव अम्बेडकर पार्क (रामगढ़ताल)	01 तथा 02	16.91 वर्गमीटर	रु०-27,019.00 ✓	रु०-2,70,190.00 ✓

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित पंडित गोविन्द बल्लभ पंत पार्क पर निर्मित कियास्कों तथा डा0 भीम राव अम्बेडकर पार्क स्थित कियास्कों का ई-नीलामी के माध्यम से किराये पर आवंटन हेतु सामान्य नियम एवं शर्तें निम्नवत् हैं:-

- 1- कियास्क का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से 05 वर्षों के लिए किराये पर किया जायेगा। प्री-विडिंग की प्रक्रिया लागू होगी।
- 2- आवेदक को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पं0 गोविन्द बल्लभ पंत पार्क स्थित कियास्क के लिए रूपया-2,56,610.00 तथा डा0 भीम राव अम्बेडकर पार्क स्थित कियास्क के लिए रू0-2,70,190.00 जमानत धनराशि जमा करना होगा।
- 3- पं0 गोविन्द बल्लभ पंत पार्क स्थित कियास्क का न्यूनतम किराया प्रतिमाह रूपया-25,661.00 तथा डा0 भीम राव अम्बेडकर पार्क स्थित कियास्क का न्यूनतम किराया प्रतिमाह रूपया-27,019.00 है। बिड की बोली रू0-500.00 से कम की नहीं होगी।
- 4- परिवार का कोई एक सदस्य ही नियमानुसार ई-नीलामी में भाग ले सकेगा।
- 5- निविदा की बोली में प्रतिस्पर्धात्मक दर निर्धारित करने तथा कम दर प्राप्त होने पर निविदा की बोली को निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास, प्राधिकरण, गोरखपुर में निहित होगा।
- 6- कियास्क का आवंटन नियमानुसार उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में किया जायेगा।
- 7- कियास्क का किराया विलम्ब से जमा करने पर 15% की दर से दण्ड ब्याज देय होगा।
- 8- निरन्तर 04 माह तक किराये की धनाशि जमा न करने पर जमा जमानत धनराशि को जब्त कर कियास्क का आवंटन उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
- 9- कियास्क के 06 माह का किराया अग्रिम के रूप में जमा करना होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 10- कियास्क का 06 माह का किराया अग्रिम के रूप में जमा करके पंजीकृत इकरारनामा निष्पादित कराने के पश्चात् ही कब्जा दिया जायेगा।
- 11- आवंटित कियास्क का अधिकतम 03 माह के अन्दर इकरारनामा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन निरस्त करते हुए जमानत धनराशि जब्त कर लिया जायेगा।
- 12- नीलामी में असफल आवेदक को उनके द्वारा जमा जमानत धनराशि में से प्रशासनिक व्यय रू0-1000.00 मात्र की कटौती करते हुए वापस कर दी जायेगी, जिसपर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 13- कियास्क में खाद्य पदार्थ/खिलौना/आइसक्रीम आदि का व्यापार अनुमन्य होगा तथा किसी भी प्रकार के नशे आदि का व्यापार अनुमन्य नहीं होगा। निर्धारित प्रयोजन के अतिरिक्त कियास्क का अन्य कोई उपयोग किए जाने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 14- कियास्क में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आदि किया जाना पूर्णतः वर्जित होगा तथा कियास्क का विभाजन करना भी अनियमित माना जायेगा। ऐसा करने पर आवंटी द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुए कियास्क का आवंटन उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
- 15- किसी भी शासकीय कर आदि के भुगतान का दायित्व आवंटी का होगा।
- 16- कियास्क में जल व विद्युत का कनेक्शन लेने तथा कियास्क व उसके आस-पास साफ-सफाई रखने का दायित्व आवंटी का होगा।

- 17- कियास्क का आवंटन हो जाने के पश्चात् इकरारनामा के पूर्व आवंटी को अपना बैंक विवरण प्राधिकरण को उपलब्ध कराना होगा, जिसके माध्यम से आवंटित कियास्क का मासिक किराया का भुगतान आटो डेबिट के माध्यम से करना होगा।
- 18- आवंटित कियास्क के किरायें के मद में बोली गयी उच्चतम बोली में प्रति वर्ष 12.36 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी तथा नियमानुसार जी0एस0टी0 भी देय होगा।